मुख्य न्यायाधीश एस.एस. संधावालिया, न्यायमूर्ति एस.एस. कांग और न्यायमूर्ति जी.सी. मितल के समक्ष

बीरू और अन्य-अपीलकर्ता

बनाम

सूरज भान और अन्य-प्रतिवादी

नियमित द्वितीय अपील क्रमांक 190/1971

1 फ़रवरी 1983

पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम (1948 का 50) - धारा 21 और 42 - समेकन कार्यवाही - सह-हिस्सेदारों के पास संयुक्त और अविभाज्य अधिकार हैं -उनमें से प्रत्येक - चाहे ऐसी कार्यवाहियों में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक हो और व्यक्तिगत रूप से सेवा दी गई - ऐसे सह-हिस्सेदारों में से एक को पर्याप्त सुनवाई दी गई - क्या इसे सभी सह-हिस्सेदारों की सुनवाई के रूप में माना जा सकता है।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि व्यापक न्यायशास्त्रीय सिद्धांत से कि जहां पहचान और हितों की संयुक्तता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी दूसरों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकता है और उन्हें बाध्य भी कर सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिद्धांत पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम 1948 के तहत कार्यवाही में भी समान रूप से लागू होगा यदि अधिक दृढ़ता से नहीं। यह क़ानून प्रगतिशील कृषि क़ानून का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कुछ तात्कालिकता से हासिल करना है, न कि केवल धीमी गति की तस्वीर। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूरे राज्य में चकबंदी की कार्यवाही लाखों भूमि के हकदारों को प्रभावित कर सकती है और अंतहीन मुकदमेबाजी और हितों के

टकराव के कारण, प्रत्येक कार्यवाही में प्रत्येक व्यक्ति या संयुक्त सह-हिस्सेदार को पक्षकार बनाने की मांग करना व्यावहारिकता के दायरे से परे होगा। इससे भी अधिक सिद्धांतवादी यह मांग हो सकती है कि न केवल ऐसे प्रत्येक सहभागी को पक्षकार बनाया जाए बल्कि उनमें से प्रत्येक की प्रभावी ढंग से सेवा की जाए और उनका प्रतिनिधित्व सुरक्षित किया जाए। अत्यधिक कानूनी औपचारिकता से युक्त समस्या के प्रति अत्यधिक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अंततः क़ानून की भूमि योग्य वस्तुओं को निरस्त या निराश कर सकता है। यदि अतितकनीकी दृष्टिकोण अपनाया जाए तो सहभागियों में से किसी एक को पक्षकार बनाने की अनुपस्थिति या उनमें से किसी एक की सेवा की अनजाने में विफलता पूरी कार्रवाई को अधिनियम के प्रावधानों से परे ले जा सकती है। एक बार ऐसा होने पर, ऐसी कार्रवाई सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को आकर्षित कर सकती है, जो अपनी धीमी प्रक्रिया के साथ बेकार और अलाभकारी भूमि-जोत के शीघ्र अनिवार्य समेकन के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करेगी। इसी तरह, अधिनियम के तहत एक नहीं बल्कि अधिकांश कार्यवाहियों में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शामिल थी, जिससे बड़ी संख्या में संयुक्त अधिकार धारक प्रभावित हुए और सह-हिस्सेदारों में से प्रत्येक की पक्षकारिता और सेवा पर जोर देना वास्तव में केंद्रीय उद्देश्य और कानून के उद्देश्य की प्राप्ति में अगम्य बाधाएं पैदा करेगा। इस बात पर ज़ोर देना कि संयुक्त या व्यक्तिगत अधिकार धारकों में से प्रत्येक को पक्षकार बनाया जाना चाहिए और सेवा प्रदान की जानी चाहिए, व्यावहारिक उपलब्धि की असंभव पूर्णता का एक परामर्श होगा। इसलिए, एक सह-हिस्सेदार द्वारा प्रभावी प्रतिनिधित्व का ठोस सिद्धांत जहां उसके हित समान हैं और दूसरों के साथ समान हैं, समेकन अधिनियम के तहत कार्यवाही पर दोगुना आकर्षित और लागू होता है। इससे, यह अनिवार्य रूप से पता चलता है कि यह न तो अधिनियम की धारा 21 और 42 के अक्षरशः और न ही भावना के भीतर है कि प्रत्येक सह-हिस्सेदार को अनिवार्य रूप से इसके तहत कार्यवाही में शामिल किया जाना चाहिए। वास्तव में, अधिनियम स्वयं ऐसी किसी कानूनी औपचारिकता का आदेश नहीं देता है। हालाँकि, इससे किसी याचिकाकर्ता को किसी विशेष

मामले में किसी ऐसे अधिकार-धारक को इंगित करने से नहीं रोका जाना चाहिए जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना है और इसलिए, उसे आवेदन में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। व्यावहारिक विचारों पर यह वास्तव में उपयुक्त होगा लेकिन ऐसा करने में विफलता किसी भी तरह से कार्यवाही की वैधता या वैधानिकता को प्रभावित नहीं करती है। अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में प्रतिकूल रूप से प्रभावित सभी व्यक्तियों को कारण बताने का अवसर प्रदान करने के बड़े सिद्धांत के आधार पर, जब उनके खिलाफ कार्रवाई की परिकल्पना की जाती है तो उन्हें सुनवाई का अवसर देना हमेशा आवश्यक होता है। इसलिए, समेकन कार्यवाही में, सह-हिस्सेदारों के मामलों में जहां उनके हित संयुक्त और समान हैं, तो किसी एक को दी गई प्रभावी सुनवाई, कानून की नजर में, सभी को दी गई सुनवाई होगी, जो कानून में पर्याप्त होगी। यह हितकारी सिद्धांत, निश्चित रूप से, इस नियम के अधीन है कि जहां ऐसी सुनवाई किसी धोखाधड़ी या मिलीभगत या मुद्दे की किसी निष्पक्ष और वास्तविक सुनवाई के अभाव के कारण खराब हो जाती है, तो ऐसी सुनवाई अन्य सहभागियों के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। इस प्रकार, यह माना जाता है कि अधिनियम की धारा 21 और 42 के तहत कार्यवाही में, यह आवश्यक नहीं है कि सभी सह-हिस्सेदारों को पहले पक्षकार बनाया जाए और फिर व्यक्तिगत रूप से सेवा दी जाए। यह माना जाता है कि एक या कुछ सह-हिस्सेदारों को दी गई पर्याप्त सुनवाई कानून की नजर में सह-हिस्सेदारों के सभी निकाय की सुनवाई है, किसी धोखाधड़ी या मिलीभगत के अभाव में या मुद्दे की किसी निष्पक्ष और वास्तविक सुनवाई की विफलता में।

(पैरा 12, 13 और 17)

-जमाधर श्योजी राम बनाम श्रीमती दौलती बाई एवं अन्य, 1970 पी.एल.जे. 475

-जहाज खान और अन्य बनाम अतिरिक्त निदेशक, होल्डिंग्स समेकन, हरियाणा और अन्य, 1970 रेव. एल.आर. 574

-हेत राम और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1974 रेव. एल.आर. 28।

(ख़ारिज)

(मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 6 नवंबर 1981 को एकल न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति गोकल चंद मित्तल द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। बड़ी पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस एस संधावालिया, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस एस कांग और माननीय श्री न्यायमूर्ति जी सी मित्तल शामिल हैं। मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर देने के बाद 1 फरवरी 1983 को मामले को फिर से एकल न्यायाधीश के पास भेजा गया । एकल न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति गोकल चंद मितल ने अंततः 22 मार्च, 1983 को मामले का फैसला किया)।

श्री वी डी अग्रवाल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जींद की अदालत के 1 दिसंबर 1980 के फैसले के खिलाफ नियमित द्वितीय अपील जिसने श्री बी आर गुप्ता, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, नरवाना द्वारा 22 फरवरी, 1969 को पारित डिक्री को पलट दिया, जिसमें वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया और पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एच.एस.हुड्डा।

प्रतिवादियों की ओर से के.के.मेहता, अधिवक्ता और आई.के.मेहता, अधिवक्ता।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश

(1) क्या पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 21 और 42 के तहत कार्यवाही में यह परिकल्पना की गई है कि संयुक्त और अविभाज्य अधिकार रखने वाले सह-हिस्सेदारों में से प्रत्येक को एक पार्टी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से इसमें सेवा दी जानी चाहिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके कारण पूर्ण पीठ को यह सन्दर्भ देना आवश्यक हो गया है। संक्षेप में मुद्दा यह है कि क्या सह-हिस्सेदारों में से किसी एक को पक्षकार बनाने या उनमें से किसी एक को पर्याप्त सुनवाई दिए जाने को (उसकी ओर से धोखाधड़ी या मिलीभगत को छोड़कर) सभी सह-हिस्सेदारों की सुनवाई के रूप में माना जा सकता है।

(2) प्रश्न से सीधे तौर पर संबंधित तथ्यों के मैट्रिक्स पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है। गांव करसिंधु, तहसील नरवाना में चकबंदी कार्यवाही इस लंबी मुकदमेबाजी के लिए आधार प्रदान करती है। पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम की धारा 21 के तहत चकबंदी अधिकारी ने, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा, तेलू, मांगे और बीरू को आबादी भूखंड संख्या 644 के आवंटन का प्रस्ताव दिया और आबादी प्लॉट संख्या 651 और 657 क्रमशः सूरजभान और शिवराम को। पक्षों को सुनने के बाद, चकबंदी अधिकारी ने अधिनियम की धारा 21(2) के तहत अंततः आबादी भूखंड संख्या 651 और 657 को तेलू, मांगे और बीरू को आवंटित करने का आदेश पारित किया और प्लॉट नंबर 644 को दो हिस्सों में बांटा गया था जिसमें से एक सूरजभान और दूसरा शिवराम को आवंटित किया गया था। उपरोक्त आदेश के खिलाफ सूरज भान और श्योचंद की विधवा श्रीमती लाडो ने अधिनियम की धारा 21(3) के तहत एक संयुक्त अपील दायर की, जिसे निपटान अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 29 जुलाई, 1964 (अनुलग्नक पी 2) द्वारा खारिज कर दिया। इस अपील में केवल

तेलु को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था और वह अकेले सुनवाई के समय उपस्थित थे। उक्त आदेश के खिलाफ दो अलग-अलग अपीलें दायर की गईं- एक सूरज भान और श्रीमती लाडो, शिव चंद की विधवा द्वारा और दूसरी श्योराम द्वारा, इन दोनों अपीलों में भी तेलू राम को ही प्रतिवादी बनाया गया था। सहायक निदेशक ने दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की और अपने आदेश दिनांक 4 जनवरी, 1965 द्वारा इसकी अनुमति देते हुए धारा 21(1) के तहत प्रस्तावित आवंटन बहाल कर दिए। उपरोक्त आदेश के खिलाफ तेलू राम ने अपनी ओर से और मांगे की ओर से अधिनियम की धारा 42 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे अतिरिक्त निदेशक ने 3 फरवरी, 1966 के अपने आदेश के तहत खारिज कर दिया (एक्ज़िबिट डी-1)।

(3) कार्यवाही को जन्म देने वाला वर्तमान मुकदमा बीरू और मांगे द्वारा दायर किया गया था, जिसमें सूरज भान और शेओ राम को बारास नंबर 651 और 657 के दो-तिहाई हिस्से के स्वामित्व में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। वादी ने चकबंदी प्राधिकारियों के उन आदेशों को भी चुनौती दी जिनके द्वारा प्रतिवादियों को उक्त दो भूखंड आवंटित किए गए थे, जो उनके अधिकारों के विरुद्ध शून्य और अप्रभावी थे क्योंकि वे आदेश उनकी पीठ पीछे प्राप्त किए गए थे। तेलु राम को प्रोफार्मा प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। मुकदमा सूरज भान और श्योराम ने लड़ा था और उन्होंने दलील दी थी कि चकबंदी कार्यवाही में अंततः उन्हें दो भूखंड आवंटित किए गए थे और उन्होंने उन आदेशों के तहत उस पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने यह भी दलील दी कि सिविल अदालतों को मुकदमे की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि सिविल कोर्ट के पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था, क्योंकि वादी पक्ष को समेकन प्राधिकारियों द्वारा 651 और 657 से 644 के भूखंडों के आवंटन को अलग-अलग करने के लिए पारित प्रतिकूल आदेशों की कोई सूचना नहीं थी और इसलिए उक्त आदेश पूरी

तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना थे और वादी पर बाध्यकारी नहीं थे। तदनुसार मुक़दमे का फैसला सुनाया गया। निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर और प्रतिवादियों ने अपील की और विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जींद ने 7 दिसंबर 1970 के फैसले के तहत इसकी अनुमति दी और इस निष्कर्ष पर मुकदमा खारिज कर दिया कि वादी पक्ष का तेलु द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया था और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि उनके पास कार्यवाही की अपेक्षित सूचना थी जो उनके हित के विरुद्ध थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में बुनियादी निर्भरता तेग पाल बनाम पंजाब राज्य पर रखी गई थी। यह वादी की दूसरी अपील है जो पहले अकेले बैठे मेरे विद्वान भाई जी सी मितल, न्यायमूर्ति के समक्ष आई थी। इस न्यायालय के भीतर मिसाल के तीव्र टकराव को देखते हुए, उन्होंने अपने विस्तृत और स्पष्ट संदर्भित आदेश के माध्यम से मामले को पूर्ण पीठ द्वारा एक आधिकारिक निर्णय के लिए भेजा।

(4) शायद सबसे पहले यह उजागर करना आवश्यक है कि हमें पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम 1948 की विशिष्ट सीमाओं के भीतर इस मुद्दे (निर्णय के शुरुआती भाग में तैयार) पर विचार करने के लिए कहा गया है। (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा)। यह क़ानून प्रगतिशील कृषि कानून की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका प्राथमिक उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम और इसकी प्रस्तावना दोनों से पता चलता है, कृषि जोत के अलाभकारी ब्लॉकों में विखंडन को रोकने और पूरे राज्य में शीघ्रता से अनिवार्य समेकन के लिए प्रदान करना है। यह स्पष्ट है कि इसमें अनिवार्य रूप से लाखों व्यक्तिगत और संयुक्त कृषि जोतें शामिल होंगी। इस प्रकृति के क़ानून की व्याख्या करते समय कोई भी इसके बड़े उद्देश्य से पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है या जैसा कि कभी-कभी इसे अधिनियम की आत्मा के रूप में उपयुक्त रूप से कहा गया है। सिद्धांत रूप में इस मुद्दे पर विषयांतर करना अनावश्यक लगता है क्योंकि इस पर पंजाब राज्य (अब

हरियाणा) और अन्य बनाम अमर सिंह और अंतिम न्यायालय द्वारा आधिकारिक रूप से फैसला सुनाया जा चुका है। अन्य इन शब्दों में:-

“ऐसे प्रत्येक क़ानून में एक आत्मा और एक एकीकृत व्यक्तित्व होता है - छोटी-मोटी विकृतियाँ इस एकता को ख़राब कर सकती हैं, विशेष रूप से जिसमें टुकड़ों में संशोधन और अकुशल प्रारूपण होता है। बुनियादी न्यायिक दृष्टिकोण कानून की इस आत्मा की खोज करना और व्यापक भावना को बनाए रखने और अधिनियम की सामाजिक परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कई अंगों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना होना चाहिए। प्रावधानों के बीच प्रतीत होने वाले टकराव को एक सहकारी सह-अस्तित्व में हल किया जाना चाहिए। यह फिर से इस अधिनियम के संबंध में व्याख्या के हितकारी नियम की पृष्ठभूमि है कि कोई अब इसके विशेष प्रावधानों की ओर रुख कर सकता है, चूँकि तर्क में आवश्यक रूप से अधिनियम की धारा 21 और 42 की भाषा को शामिल किया गया है, इसलिए पहले उनके प्रासंगिक भागों को उद्धृत करना उपयुक्त प्रतीत होता है: -

"21. (1) चकबंदी अधिकारी, संबंधित संपत्ति या सम्पदा के भूस्वामियों की सलाह प्राप्त करने के बाद, धारा 20 के तहत पुष्टि की गई जोतों के समेकन की योजना के अनुसार पुनर्विभाजन करेगा,

और जोत की सीमाओं को सीमांकित किया गया है, उसे शजरा पर दिखाया जाएगा जिसे संबंधित संपत्ति या सम्पदा में निर्धारित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा।

(2) पुनर्विभाजन से व्यथित कोई भी व्यक्ति प्रकाशन के पंद्रह दिनों के भीतर चकबंदी अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है, जो आपत्तिकर्ताओं को सुनने के बाद पुनर्विभाजन की पुष्टि या संशोधन करने के लिए उचित समझे जाने वाले आदेश पारित करेगा।

(3) उपधारा (2) के तहत चकबंदी अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस आदेश के एक महीने के भीतर बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) के समक्ष अपील दायर कर सकता है, जो अपीलकर्ता को सुनने के बाद ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।

(4) उप-धारा (3) के तहत निपटान अधिकारी (चकबंदी) के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) दूसरा संशोधन और मान्यकरण अधिनियम, 1962 के प्रारंभ से पहले या बाद में बनाया गया हो, उस आदेश के साठ दिनों के भीतर सहायक चकबंदी निदेशक के यहां अपील कर सकता है।

(5)* * *

(6)* * *

(7)* * *

“42. राज्य सरकार किसी भी समय इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश, तैयार या पुष्टि की गई योजना या किसी अधिकारी द्वारा किए गए पुनर्विभाजन की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, पहले से लंबित किसी भी मामले के रिकॉर्ड को मांग सकती है और उसकी जांच कर सकती है। ऐसे अधिकारी द्वारा निपटान किया जाएगा और वह उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे: बशर्ते कि किसी भी आदेश या योजना या पुनर्विभाजन को इच्छुक पक्षों को उपस्थित होने का नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना बदला या उलटा नहीं किया जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जब राज्य सरकार संतुष्ट हो कि कार्यवाही गैरकानूनी विचार से दूषित हो गई है। अधिनियम की धारा 21 को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इसके प्रावधान आपत्तियां दाखिल करने और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली अपीलों के लिए दलीलों का कोई औपचारिक तरीका निर्धारित नहीं करते हैं। इसलिए, इस क्षेत्र में दलीलों की किसी भी अत्यधिक तकनीकी

औपचारिकता को आयात करना वास्तव में पांडित्यपूर्ण होगा। हमारे समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि भले ही अधिनियम के तहत विस्तृत नियम बनाए गए हैं, लेकिन इसके निर्माताओं ने अधिनियम की धारा 21 के तहत कार्यवाही का सहारा लेने के लिए कोई विशिष्ट या औपचारिक तरीका निर्धारित करने का विकल्प नहीं चुना है।

(5) अब अधिनियम की धारा 42 की ओर मुड़ते हुए, स्थिति कुछ हद तक समान है, जो कि प्रावधान में निर्धारित योग्यता के साथ है, कि विभाजन के किसी भी आदेश या योजना को बदलने या उलटने से पहले, इच्छुक पार्टियों को एक अवसर दिया जाना चाहिए । यह स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के प्राथमिक सिद्धांतों की वैधानिक मान्यता है, जिसे प्रावधानों में अच्छी तरह से आयात किया जा सकता है, भले ही यह स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया हो। हालाँकि, यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि न तो अधिनियम की धारा 42 और न ही उसके तहत बनाए गए नियम 17 में उसके अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए किसी औपचारिक दलील या एक अनम्य रूप की आवश्यकता होती है। यह सच है कि नियम 17 बुनियादी न्यूनतम जानकारी निर्धारित करता है जिसे इसके तहत एक आवेदन में प्रदान किया जाना चाहिए। इसके खंड (सी) पर भरोसा करने की मांग की गई थी कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले प्रत्येक व्यक्ति को औपचारिक रूप से आवेदन में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। मुझे इस प्रावधान को ऐसी किसी औपचारिकता या कठोरता के साथ पढ़ने में असमर्थता पर खेद है। अधिक से अधिक इसका उद्देश्य प्राधिकारी के लिए अपेक्षित जानकारी प्रदान करना है, जो तब प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति को सुनने का विकल्प चुन सकता है, यदि विभाजन के पहले के आदेश या योजना को उलट कर राहत देना आवश्यक हो जाता है। इस बात पर अवश्य प्रकाश डाला जाना चाहिए कि यद्यपि असाधारण मामलों में धारा 42 का सहारा सीधे तौर पर संभव हो सकता है। फिर भी आमतौर पर यह पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार धारा 21 के तहत प्रदान की गई आपत्तियों या अपील

के माध्यम से चार उपचारों के शीर्ष पर है। इसलिए, यदि कोई ऐसा कह सकता है, तो निदेशक के पास प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति को बुलाए बिना, धारा 42 के तहत एक आवेदन को खारिज करने की शक्ति है। ऐसा आवेदन कोई मुकदमा नहीं है जिसमें प्रक्रिया आवश्यक रूप से या सामान्य रूप से प्रतिवादियों को जारी की जानी चाहिए, जिन्हें औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 21 और 42 किसी भी तरह से प्रत्येक अधिकारधारक, चाहे वह संयुक्त हो या अलग, को औपचारिक रूप से पक्षकार बनाने का आदेश या आदेश नहीं देती है, जो कार्यवाही से प्रभावित हो सकते हैं। वास्तव में इस तरह की आवश्यकता उन कार्यवाहियों के संबंध में कृषि कानून में सिद्धांतहीन और अव्यवहारिक लगेगी जो गांव की संपत्ति में प्रत्येक अधिकारधारक के अधिकारों से अच्छी तरह निपट सकती है, चाहे वह संयुक्त हो या अलग, और जैसा कि पहले ही राज्य भर में ऐसे लाखों अधिकार धारकों के साथ उल्लेख किया गया है।

(6) एक बार ऐसा होने पर, यह याद रखना भी उतना ही उपयुक्त है कि न तो विधायी नुस्खे द्वारा और न ही न्यायिक आदेश द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को समेकन कार्यवाही पर लागू किया गया है। इसे उजागर करना होगा क्योंकि कानूनी औपचारिकता में कभी-कभी व्यक्ति अवचेतन रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ तकनीकी प्रावधानों को भी आयात करने लगता है। वकील ने ठीक ही बताया कि रामजी दास और अन्य बनाम पंजाब राज्य आदि में यह आधिकारिक रूप से माना गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित छूट के नियम समेकन क्षेत्र में दूर-दूर तक आकर्षित नहीं होते हैं। इसी तरह हमारे सामने इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता कि इसकी धारा 11 के सख्त सिद्धांत और साथ ही न्यायिक निर्णय के नियमों की पेचीदगियां भी अनम्य रूप से आकर्षित नहीं होंगी। परिणामस्वरूप यह माना जाना चाहिए कि समेकन अधिनियम के तहत कार्यवाही मुख्य रूप से, यदि पूरी तरह से नहीं, तो नागरिक प्रक्रिया की औपचारिकता के बंधनों से मुक्त है।

(7) एक बार ऐसा हो जाने पर, यह बड़ा सिद्धांत कि एक या एक से अधिक सह-हिस्सेदार किसी भी धोखाधड़ी या मिलीभगत की अनुपस्थिति में बाकी लोगों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, दृढ़ता से या एक व्यापक न्यायशास्त्रीय आधार पर टिका हुआ प्रतीत होता है। वर्तमान समेकन अधिनियम के तहत उदाहरण के लिए विशेष रूप से विज्ञापन करने से पहले, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूल नियम कानून के अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी तरह से स्थापित है। सह-मालिकों के पूरे निकाय के एक सह-मालिक द्वारा अवधारणा या प्रतिनिधित्व को डी जी वेंकटरामू और अन्य बनाम प्रबंध निदेशक, पांडवपुरा सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड पांडवपुरा और एक अन्य मामले में पूर्ण पीठ द्वारा सही ढंग से उजागर किया गया है। इस प्रकार, अब्दुल कबीर और अन्य बनाम माउंट जमीला खातून और अन्य मामले में पिछली डिवीजन बेंच के फैसले को खारिज करने वाले सभी पुराने असंगत नोट्स को शांत कर दिया गया और यह माना गया है कि आदेश 1, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, एक सह-मालिक द्वारा एक अतिचारी के खिलाफ कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा, अन्य सह-मालिक की अनुपस्थिति में (इस संबंध में उठाए गए विशिष्ट आपत्तियों के बावजूद) कायम रखा जा सकता था और उस पर फैसला सुनाया जा सकता था। यह सिद्धांत दोहराया गया कि एक सह-मालिक को अन्य सह-मालिकों की ओर से कब्ज़ा माना जाता है और कानून में उसका कब्ज़ा अन्य सह-मालिकों के लिए प्रतिकूल नहीं माना जाता है (जब तक कि बेदखली का सबूत न हो)। इस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किरपा और अन्य बनाम रघबीर सिंह और अन्य में उस दृष्टिकोण का पालन किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले भी गोपाल सिंह बनाम मेहंगा सिंह मामले में ऐसा ही किया गया था। सादृश्य के माध्यम से, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आवेदन के माध्यम से मुआवजे की वृद्धि के दावे का संदर्भ केवल सह-मालिकों में से एक द्वारा किया जा सकता है, जिसमें संयुक्त और अविभाजित हित हो। श्री केहर सिंह पुत्र धरम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ

और अन्य मामले में डिवीजन बेंच द्वारा यह आधिकारिक रूप से माना गया है कि इस तरह के आवेदन को अन्य सह-मालिकों की ओर से भी माना जा सकता है, जिनके हित संयुक्त हैं और अविभाज्य और परिणामस्वरूप वे वृद्धि में हिस्सेदारी के समान रूप से हकदार हैं। इसमें राज्य बनाम नारायणी पिल्लई कुट्टीपरु अम्मा और अन्य मामले में डिवीजन बेंच के पहले के फैसले पर भरोसा रखा गया था, हाल ही में पंजाब राज्य (अब हरियाणा) बनाम मैसर्स ग्लोब मोटर्स लिमिटेड और अन्य मामले में लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा इस दृष्टिकोण की फिर से पुष्टि की गई है।

(9) संत राम नगीना राम बनाम दया राम नगीना राम और अन्य मामले में डिवीजन बेंच द्वारा सह-हिस्सेदारों के पारस्परिक हितों और देनदारियों, साथ ही उससे होने वाली अन्य कानूनी घटनाओं का निपटान और सारांश किया गया था। जिसे हाल ही में भरतु बनाम राम सरूप मामले में पूर्ण पीठ द्वारा पुनः पुष्टि की गई है। मोटे तौर पर यही सिद्धांत सह-किरायेदार के दायरे में भी समान रूप से विस्तारित प्रतीत होता है। इसमें यह माना गया है कि एक सह-किरायेदार को नोटिस सभी को नोटिस है। इस संदर्भ में बोदरडोजा और अन्य, बनाम अजीजुद्दीन सरकार और अन्य में डिवीजन बेंच के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है, जो हरिहर बनर्जी और अन्य बनाम रामशशि रॉय और अन्य के तर्क पर आधारित है।

(10) किराया क्षेत्राधिकार में पुनः सिरी किशन देव बनाम बाबू नंद किशोर, एडवोकेट एवं अन्य में आयोजित किया गया है कि किरायेदार द्वारा संयुक्त मकान मालिकों में से किसी एक को किराए का भुगतान सभी के लिए भुगतान है और इस प्रकार किरायेदार से अन्य को कोई बकाया नहीं होगा। इसी प्रकार, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट के तहत, वरयाम सिंह और अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा में यह राय दी गई कि किरायेदार को बेदखल

करने के लिए आवेदन पर सभी संयुक्त मकान मालिकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही वास्तव में उन सभी द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

(11) अंततः कई कानूनी प्रतिनिधियों में से एक या कुछ द्वारा पूरी संपत्ति के प्रतिनिधित्व की अवधारणा को न केवल आम तौर पर स्वीकार किया गया है बल्कि अंततः हरिहर प्रसाद सिंह और अन्य बनाम बाल्मीकि प्रसाद सिंह और अन्य में पवित्र किया गया है। इसमें यह माना गया है कि जहां केवल मृतक के कुछ कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया था, वे पूरी संपत्ति और अन्य कानूनी प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, और किसी की अनुपस्थिति में निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होगा। धोखाधड़ी या मिलीभगत या बहुत विशेष परिस्थितियों के आधार पर, यह दिखाते हुए कि वास्तव में अनुपस्थित लोगों के खिलाफ मुकदमा निष्पक्ष या वास्तविक नहीं था या जहां कोई विशेष मामला था जो कार्यवाही में नहीं था और न ही चलाया जा सकता था। अंतिम न्यायालय की टिप्पणियों से निष्कर्षित नियम यह प्रतीत होता है कि जहां हित सामान्य और समान हैं, तो ऐसे सामान्य और समान हित वाले व्यक्तियों में से एक दूसरों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकता है और उन्हें बाध्य भी कर सकता है। हालाँकि, इस सुस्थापित नियम का अस्पष्ट आधार यह है कि धोखाधड़ी या मिलीभगत का अभाव होना चाहिए और मुद्दे की निष्पक्ष और वास्तविक सुनवाई होनी चाहिए। यदि पीड़ित पक्ष यह स्थापित कर सकता है कि वास्तव में कार्यवाही धोखाधड़ी या मिलीभगत से दूषित हुई थी या कोई निष्पक्ष या वास्तविक सुनवाई नहीं हुई थी, तभी प्रतिनिधित्व अवधारणा को बाहर किया जा सकता है और निर्णय को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है।

(12) व्यापक न्यायशास्त्रीय सिद्धांत के उपरोक्त बड़े परिप्रेक्ष्य से कि जहां पहचान और हितों की संयुक्तता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी दूसरों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकता है और उन्हें बांध भी सकता है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह सिद्धांत समान रूप

से होगा, यदि अधिक मजबूती से नहीं, चकबंदी अधिनियम के तहत कार्यवाही में भी शामिल किया गया। जैसा कि पहले देखा गया है, यह क़ानून प्रगतिशील कृषि विधान का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य कुछ तात्कालिकता से हासिल किया जाना है, न कि जैसा कि चित्रात्मक ढंग से कहा गया है, यह केवल एक धीमी गति की तस्वीर है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूरे राज्य में चकबंदी की कार्यवाही लाखों भूमि के हकदारों को प्रभावित कर सकती है और अंतहीन मुकदमेबाजी और हितों के टकराव के कारण, प्रत्येक कार्यवाही में प्रत्येक व्यक्ति या संयुक्त सह-हिस्सेदार को पक्षकार बनाने की मांग करना व्यावहारिकता के दायरे से परे होगा। इससे भी अधिक सिद्धांतवादी यह मांग हो सकती है कि न केवल ऐसे प्रत्येक सहभागी को पक्षकार बनाया जाए बल्कि उनमें से प्रत्येक की प्रभावी ढंग से सेवा की जाए और उनका प्रतिनिधित्व सुरक्षित किया जाए। अत्यधिक कानूनी औपचारिकता से युक्त समस्या के प्रति अत्यधिक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अंततः क़ानून की प्रशंसनीय वस्तुओं को निरस्त या निराश कर सकता है। उत्तरदाताओं की ओर से यह बताया गया कि यदि अतितकनीकी दृष्टिकोण अपनाया जाए तो सह-हिस्सेदार में से किसी एक को पक्षकार बनाने की अनुपस्थिति या उनमें से किसी एक की सेवा की अनजाने विफलता, पूरी कार्रवाई को प्रावधानों से परे ले जा सकती है। एक बार ऐसा होने पर, इस तरह की कार्रवाई सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र को आकर्षित कर सकती है, जो अपनी धीमी प्रक्रिया के साथ बेकार और अलाभकारी भूमि जोत के शीघ्र अनिवार्य समेकन के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करेगी। इसी तरह, यह सही बताया गया कि अधिनियम के तहत एक नहीं बल्कि अधिकांश कार्यवाहियों में बड़ी संख्या में संयुक्त अधिकार धारकों को प्रभावित करने वाली श्रृंखला-प्रतिक्रिया शामिल थी और सह-हिस्सेदारों में से प्रत्येक की पक्षकारिता और सेवा पर जोर देना वास्तव में कानून के केंद्रीय उद्देश्य और उद्देश्य की प्राप्ति में अगम्य बाधाएं पैदा करेगा। दिया गया एक प्रशंसनीय और विशेष उदाहरण गांव के रास्तों के संरेखण का था, जिसमें बड़े परिदृश्य में न केवल गांव की संपत्ति के सभी अधिकारधारक, बल्कि वहां के सभी निवासी भी शामिल हो सकते हैं। इस बात पर जोर देना

कि संयुक्त या व्यक्तिगत अधिकार धारकों में से प्रत्येक को ऐसे उद्देश्य के लिए पक्षकार बनाया जाना चाहिए और सेवा प्रदान की जानी चाहिए, व्यावहारिक उपलब्धि की असंभवता की पूर्णता की सलाह होगी। इसलिए, मेरा विचार है कि एक सह-हिस्सेदार द्वारा प्रभावी प्रतिनिधित्व का ठोस सिद्धांत जहां उसके हित दूसरों के साथ समान और समान हैं, वह दोगुना आकर्षित होता है और समेकन अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू होता है।

(13) उपरोक्त से, यह अनिवार्य रूप से इस प्रकार है कि यह न तो अधिनियम की धारा 21 और 42 के अक्षरशः और न ही भावना के भीतर है कि प्रत्येक सह-हिस्सेदार को इसके तहत कार्यवाही में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। वास्तव में, जैसा कि पहले बताया गया है, अधिनियम स्वयं ऐसी किसी कानूनी औपचारिकता का आदेश नहीं देता है। हालाँकि, इससे किसी याचिकाकर्ता को किसी विशेष मामले में किसी ऐसे अधिकारधारक को इंगित करने से नहीं रोका जाना चाहिए जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना है और इसलिए उसे आवेदन में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। व्यावहारिक विचारों पर यह वास्तव में उपयुक्त होगा लेकिन ऐसा करने में विफलता किसी भी तरह से कार्यवाही की वैधता या वैधानिकता को प्रभावित नहीं करती है। अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में प्रतिकूल रूप से प्रभावित सभी व्यक्तियों को कारण बताने का अवसर प्रदान करने के बड़े सिद्धांत के आधार पर, जब उनके खिलाफ कार्रवाई की परिकल्पना की जाती है तो उन्हें सुनवाई का अवसर देना हमेशा आवश्यक होता है। इसलिए, समेकन कार्यवाही में, सह-हिस्सेदारों के मामलों में जहां उनके हित संयुक्त और समान हैं, तो किसी एक को दी गई प्रभावी सुनवाई, जबड़े की नजर में, सभी को दी गई सुनवाई होगी, जो कानून में पर्याप्त होगी। यह हितकारी सिद्धांत, निश्चित रूप से, इस नियम के अधीन है कि जहां ऐसी सुनवाई धोखाधड़ी या मिलीभगत या मुद्दे की किसी निष्पक्ष और वास्तविक सुनवाई के अभाव के कारण खराब हो जाती है, तो ऐसी सुनवाई अन्य सह-हिस्सेदारों के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

(14) यह पूर्वोक्त सिद्धांत पर है कि अखंड और सुसंगत मिसाल की लंबी श्रृंखला है कि समेकन कार्यवाही में एक सह-हिस्सेदार की पर्याप्त सुनवाई दूसरे को बाध्य करती है, इस क्षेत्राधिकार के भीतर टिकी हुई है। दो दशक से भी पहले गुरनाम सिंह आदि बनाम राज्य मामले में पंजाब आदि में, चकबंदी मंत्री के समक्ष एक सह-हिस्सेदार द्वारा दूसरों का प्रतिनिधित्व करने के संदर्भ में इसे इस प्रकार रखा गया था: -

"राज्य द्वारा दायर रिटर्न में यह उल्लेख किया गया है कि गुरनाम सिंह उन सभी व्यक्तियों का सह-हिस्सेदार था, जिन पर याचिका के पैराग्राफ 6 और 7 में आरोप लगाया गया था, जिनकी सुनवाई आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले नहीं की गई थी और वह गुरनाम सिंह और उनके सह-हिस्सेदारों का हित संयुक्त होने के नाते एक ही है। यह कथन मंत्री के आदेश के साथ संलग्न अनुसूची के पृष्ठ 8 पर दी गई जानकारी से समर्थित है। किसी भी दर पर, विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य के प्रश्न पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि याचिकाकर्ताओं का मंत्री के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व किया गया था और अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील हमें यह दिखाने में विफल रहे हैं कि वह निष्कर्ष उचित नहीं था। उस दृष्टिकोण को रतन और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य भगवाना और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, गुरदयाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, कांशीराम बनाम पंजाब राज्य और अन्य, तेग पाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में लगातार दोहराया गया है। यद्यपि उक्त निर्णयों में सैद्धांतिक तौर पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई प्रतीत होती है, फिर भी यह मान लिया गया है और हमारे विचार में यह सही है कि समेकन कार्यवाही में यह स्वयंसिद्ध था कि एक सह-हिस्सेदार दूसरों का प्रतिनिधित्व करेगा और किसी भी धोखाधड़ी या मिलीभगत के अभाव में या मुद्दे के किसी भी निष्पक्ष और वास्तविक परीक्षण के अभाव में उन्हें बाध्य करेगा। पहले

दर्ज किए गए विस्तृत कारणों और नियम के व्यापक न्यायशास्त्रीय आधार के आधार पर, हम उपरोक्त निर्णयों की पुष्टि करेंगे।

(15) हालाँकि, सह-हिस्सेदारों के निकाय के प्रभावी प्रतिनिधित्व के तौर-तरीकों के संबंध में कुछ निर्णयों में अंतराल आ गया है। जमादार श्योजी राम बनाम श्रीमती दौलती बाई और अन्य में, हालांकि सवाल यह था कि क्या उस व्यक्ति की संपत्ति, जिसे अनजाने में प्रतिवादी के रूप में फंसाया गया था, भले ही वह मर चुका था, उसके केवल एक कानूनी प्रतिनिधि की उपस्थिति के कारण बाध्य होगी अधिनियम की धारा 42 के तहत याचिका की सुनवाई के समय, डिवीजन बेंच (जिसमें मैं एक पक्ष था) ने निम्नलिखित टिप्पणियां भी कीं:-

“यह स्पष्ट है कि प्रभावी प्रतिनिधित्व का प्रश्न केवल तभी उठ सकता है जहां जिन पक्षों की ओर से प्रभावी प्रतिनिधित्व का दावा किया गया है वे कार्यवाही के पक्षकार हैं। जब वे कार्यवाही में पक्षकार नहीं हैं, तो प्रभावी प्रतिनिधित्व का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। इसलिए, कोई भी अधिकार हमें यह विश्वास नहीं दिला सकता कि जब कोई व्यक्ति कार्यवाही में पक्षकार नहीं है तो उसकी ओर से प्रभावी प्रतिनिधित्व हो सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश अपने इस निष्कर्ष पर बिल्कुल सही थे कि चुहर राम के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाए बिना पारित किया गया आदेश अमान्य था। किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। दरअसल, यह आदेश एक मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया था। ऐसा होने पर, यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।" ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विचार जहाज खान और अन्य बनाम अतिरिक्त निदेशक, होल्डिंग्स समेकन, हरियाणा और अन्य, और फिर हेत राम और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में, मामले में दोहराए गए हैं।

(16) अब उपरोक्त निर्णयों का संदर्भ यह संकेत देगा कि संबंधित पीठों के समक्ष इस मुद्दे पर पर्याप्त रूप से बहस नहीं की गई थी। जिस सिद्धांत पर एक दूसरे के सह-हिस्सेदार द्वारा प्रभावी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को विस्तृत किया जाना तो दूर उस पर विचार भी नहीं किया गया। जमादार श्योजी राम के मामले में टिप्पणियाँ एक मृत व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में शामिल किए जाने की स्पष्ट असावधानी के अजीबोगरीब संदर्भ में की गई थीं। ये टिप्पणियाँ कुछ हद तक अति-विस्तारित प्रतीत हुईं और बाद के निर्णयों में इनका अधिक पालन नहीं किया गया। जैसा कि पहले कुछ विस्तार से चर्चा की गई है, समेकन अधिनियम अधिनियम की धारा 21 और 42 के तहत सभी सह-हिस्सेदारों को किसी औपचारिक रूप से फंसाने की परिकल्पना नहीं करता है। इसलिए, एक सह-हिस्सेदार की आवश्यकता को पढ़ने से पहले उसे किसी अन्य द्वारा प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने से पहले आवश्यक रूप से फंसाया जाना, अस्थिर और क़ानून के नुस्खे के विपरीत होगा। इसके अलावा, अगर एक बार इसे एक ठोस सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है कि सह-हिस्सेदारों में से एक की सुनवाई सह-हिस्सेदारों के सभी निकाय के लिए प्रभावी प्रतिनिधित्व होगी, तो आगे भेद करना व्यर्थ लगता है, अर्थात्; क्या सभी सह-हिस्सेदारों को पार्टियों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। किसी मामले में पार्टियों को औपचारिक रूप से पक्षकार बनाने का मूल विचार और उद्देश्य उन सभी की सेवा करना और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करना है। यदि सह-हिस्सेदारों में से एक पूरे शरीर का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकता है और उसकी पर्याप्त सुनवाई दूसरों को बाध्य करेगी, तब सह-हिस्सेदारों के निकाय के प्रत्येक सदस्य को पक्षकार बनाने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से व्यर्थ की कवायद होगी। वास्तव में, सभी सह-हिस्सेदारों को पहले कार्यवाही में पार्टियों के रूप में शामिल करने की ऐसी कोई भी अवधारणा, दूसरों की ओर से एक सह-हिस्सेदार द्वारा प्रभावी प्रतिनिधित्व के मूल सिद्धांत के विपरीत चलती प्रतीत होती है। अत्यंत सम्मान के साथ, इसलिए जमादार श्योजी राम और जहाज़ खान और अन्य, और

हेत राम और अन्य मामलों में इस विशिष्ट बिंदु पर टिप्पणियाँ मान्य नहीं हैं और उन्हें इस प्रकार खारिज कर दिया गया है।

(17) निष्कर्ष के तौर पर, शुरुआत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया गया है और यह माना जाता है कि अधिनियम की धारा 21 और 42 के तहत कार्यवाही में, यह आवश्यक नहीं है कि सभी सह-हिस्सेदारों को पहले पक्षकार बनाया जाए और फिर व्यक्तिगत रूप से सेवा दी जाए। ऐसा माना जाता है एक या कुछ सह-हिस्सेदारों को दी गई पर्याप्त सुनवाई कानून की नजर में धोखाधड़ी या मिलीभगत की अनुपस्थिति या मुद्दे के किसी भी निष्पक्ष और वास्तविक परीक्षण की विफलता की स्थिति में सह-हिस्सेदारों के सभी निकाय की सुनवाई है।

(18) इसमें कोई विवाद नहीं है कि उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रश्न के अलावा, इस अपील में अन्य मुद्दे भी उठ सकते हैं। इसलिए, संदर्भित कानूनी प्रश्न के उपरोक्त उत्तर के आलोक में मामला गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए वापस भेजा जाएगा।

सुखदेव सिंह कांग, न्यायमूर्ति - मैं सहमत हूं।

गोकल चंद मितल, न्यायमूर्ति- मैं भी सहमत हूं।

<u>अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।</u>

Checked By:

Karandeep

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh